एक अदृश्य अर्थव्यवस्था-घरेलू कामगार

गीता मेनन

घरेलू कामगार हमारी अर्थव्यवस्था का एक मूक व अदृश्य आधार है। पिछले कुछ दशकों में श्रमिक वर्ग में औरतों की भागीदारी बढ़ी है। भारत में कामगार औरतों की यह वृद्धि जाति व पेशागत जाति के पदानुक्रम के साथ काफी नज़दीकी से जुड़ी है। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में औरतें जमींदार के खेतों व घर, दोनों जगह काम करती थीं। इसके एवज़ में उन्हें सर छुपाने की जगह व खाना-पानी मिल जाता था। नकद वेतन का कोई ज़िक्र इस लेन-देन में मौजूद नहीं था। शहरी विकास के साथ-साथ इस तरह की सामंतवादी बंधुआ दासता में खास परिवर्तन नहीं आया है। फ़र्क़ बस इतना ही है कि घर के काम के बदले कामगार को वेतन दिया जाता है और वह अपने घर वापस लौट जाती है। हालांकि सांमतवादी व घरेलू कामगार को बंधुआ समझने की मानसिकता 'नौकर' शब्द में व समाज द्वारा किए जाने वाले व्यवहार में विद्यमान है। इस अपमान के अतिरिक्त उसके श्रम का अवमूल्यन उसे न सिर्फ़ सामाजिक पदानुक्रम बल्कि श्रम पदानुक्रम में भी सबसे निचले स्तर पर रखता है।

घरेलू काम को काम का दर्जा न मिलना पितृसत्तात्मक समाज की वास्तविकता है जहां औरतों द्वारा किए जाने वाले सभी घरेलू कामों को कमतर समझा जाता है। घरेलू काम के प्रति यह लैंगिक नज़रिया केवल मालिक के मन में ही नहीं बल्कि कामगारों के दिलों में भी होता है।

घर के काम को औरतों के हिस्से का काम समझने के कारण ही लड़कियों को छोटी उम्र से ही इसमें शामिल कर लिया जाता है। आर्थिक व स्वास्थ्य से जुड़े कारणों

के चलते घरेलू कामगार अपनी छोटी बच्चियों को अपने साथ काम पर ले जाती हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि लड़कियों को छुटपन से ही घर का काम सीख लेना चाहिए। फिर चाहे पढ़ाई भी छोड़नी पड़े क्योंकि 'ये पति के घर जाने की तैयारी होती है।'

घरेलू कामगारों की आर्थिक-सामाजिक स्थिति

यद्यपि बंगलुरू शहर में घरेलू कामगारों का कोई विस्तृत सर्वेक्षण नहीं हुआ है पर अनुमानित है कि शहर में आठ लाख से भी ज़्यादा महिला घरेलू कामगार हैं जो यहां की आबादी का दस प्रतिशत है। शहरी भारत में घरेलू कामगारों की संख्या में यह वृद्धि गांव से शहरों में पलायन के साथ जुड़ी हुई है। उत्तरजीविका की निरन्तर तलाश, आर्थिक मजबूरियां व औरतों में शिक्षा व कौशल की कमी उन्हें घरेलू कामगार बनने को बाध्य कर देती हैं। साथ ही शहरी मध्यम वर्ग का विकास से भी इस वृद्धि को बढ़ावा मिला है जहां औरतें अपने व्यवसाय के प्रति अधिक सचेत हैं। एकल परिवार के मानक, पुरुषों के असहयोग व कामकाजी औरतों के लिए राज्य की विशेष सुविधाओं के अभाव के कारण मध्यमवर्ग घरेलू कामकाज व बच्चों की देखभाल के लिए घरेलू कामगारों पर निर्भर है। इसलिए सेवा अर्थव्यवस्था में घरेलू कामगारों की बढ़ती मांग व आपूर्ति के कारण उनकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण बनकर उभर रही है। फिर भी आपूर्ति अधिक होने के कारण कामगारों में आपसी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है।

घरेलू कामगारों की काम की परिस्थितियां व्यक्तिगत और मनमाने संबंधों पर आधारित होती हैं। इन संबंधों में व्यक्तिगत जीवनियां, औरत-औरत के बीच रिश्ते, मजबूरी, एहसास और वफादारी के अनेक ताने-बाने गुंथे रहते हैं।

घरेलू कामगारों को अंशकालिक, पूर्णकालिक, रिहाइशी व लिव-इन चार श्रेणियों में बांटा जा सकता है। इनमें सेना व सरकारी आवासों में काम करने वाली कामगार भी शामिल हैं। घरेलू कामगारों का विभाजन उनके काम के आधार पर भी किया जाता है- जैसे सफाई, खाना पकाना, बच्चों की देखभाल या बुजुर्गों की देखरेख करना। यह श्रम का विभाजन अक्सर जाति के आधार पर किया जाता है।

सामाजिक स्तर पर भी घरेलू कामगार भेदभाव का सामना करती हैं। मालिकों के घर में जातीय भेदभाव किया जाता है। उनके लिए अलग गिलास-प्लेट रखी जाती है; पूजाघर में उन्हें जाने की मनाही होती है। कई घरों में वे शौचालय भी इस्तेमाल नहीं कर सकतीं। विडम्बना यह है कि इन शौचालयों की सफाई यही कामगार रोज़ाना करती हैं। भेदभाव का यह रवैया इसलिए अपनाया जाता है क्योंकि प्रायः घरेलू कामगार दलित समुदाय से आती हैं। शुद्धि का ध्यान रखते हुए अनेकों बार मालिक कपड़ों व बर्तनों पर पानी के छींटे मारकर इस्तेमाल करते हैं। घरेलू कामगार चाहे घर में कितने ही घंटे काम करें उन्हें खाना या चाय नहीं दी जाती। अक्सर मालिक भूल जाते हैं कि घरेलू कामगार भी इंसान है जिन्हें अपने परिवारों का ध्यान रखना पड़ता है और जो बदतर हालातों में जीवन बसर करती हैं। इस वर्ग समूह की भी स्वास्थ्य संबंधी व अन्य समस्याएं होती हैं तथा उनके जीवन के तनाव व तकलीफें मालिकों की ही तरह आते-जाते हैं।

कई बार घरेलू कामगारों के साथ यौन हिंसा होती है जिसे वह खामोशी से सह जाती हैं। मालिक इन घटनाओं को या तो नज़रअंदाज़ कर देते हैं या फिर उल्टा आरोप इन औरतों पर ही लगा दिया जाता है। इनके साथ अक्सर अपराधियों जैसा व्यवहार किया जाता है, घर में किसी भी चोरी का आरोप सीधा घरेलू कामगारों पर लगा दिया जाता है।

घरेलू कामगारों की ये परिस्थितियां लगभग पूरे भारत में एक समान ही हैं, सिवाय क्षेत्र, इलाके, वर्ग व जाति के कुछ फेरबदल के। जाति की इस पेचीदगी

में मालिक भी फंसे हुए हैं क्योंकि घरेलू कामगार भी जाति आधारित काम के विभाजन का सख्ती से पालन करती हैं। जाति पदानुक्रम में अपने दर्जे के अनुसार वे सिर्फ़ खाना पकाने का काम करती हैं या फिर साफ़-सफ़ाई करती हैं परन्तु शौचालय की धुलाई करने से कतराती हैं।

इस प्रकार घरेलू कामगारों का पूरा वर्ग समूह अनेकों विभिन्नताओं, विभाजन और अपनी बढ़ती हुई संख्या के साथ एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है।

हमारी समझ व रणनीतियां

एक संगठन के रूप में हमारे पास अलग से बनाई कोई स्पष्ट योजना या रणनीति मौजूद नहीं है। हमें जो समझ में आता है वह एक प्रक्रिया है जिस पर अमल करते हुए गलती व सुधार पद्धति से आगे बढ़ना है व बाज़ार की मांग व आपूर्ति के अनुसार खुद को लचीला बनाना है। हमारे मानस में साफ़ तौर पर दर्ज़ है कि *"घरेलू कामगार न तो गुलाम हैं, न मशीन। वे कामगार हैं और बतौर श्रमिक उनकी पहचान को मान्यता व सम्मान मिलना ही चाहिए।"* इस सच्चाई को स्वीकारते हुए पहली रणनीति है- जागरूकता फैलाना व कामगारों को एक व्यापार संघ में संगठित करना जिससे उचित काम व वेतन के संघर्ष व मोलतोल करने की ताकत को सशक्त बनाया जा सके। संघ का यह भी प्रयास है कि श्रमिकों को मिलने वाले तमाम मूल अधिकार जैसे वेतन, साप्ताहिक अवकाश, वेतनयुक्त सालाना अवकाश, चिकित्सीय सुविधाएं, बोनस, पेंशन आदि घरेलू कामगारों को भी मुहैय्या हों। इस संदर्भ में घरेलू कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा मुहैय्या कराने का भी संघर्ष जारी है।

पर बुनियादी ज़रूरत घरेलू कामगारों की पहचान व नियमितता के लिए कानूनी प्रावधान की है जिससे कामगारों की कानूनी पहचान की जा सके। यानी घरेलू कामगारों के रोज़गार व नियंत्रण के कानून की आवश्यकता है जिससे आगे चलकर घरेलू कामगार कल्याण बोर्ड की स्थापना की जा सके। ये त्रिपक्षी बोर्ड घरेलू कामगारों के पंजीकरण की ज़िम्मेदारी लेगा जिससे उनके रोज़गार का सबूत दिया जा सके।

घरेलू कामगारों को संगठित करने के पीछे उद्देश्य है इस बात को पुरज़ोर तरीके से रखना कि घरेलू कामगार सेवा अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। हमारा संघर्ष पुनः दोहराता है कि घरेलू कामगारों को उचित वेतन दिया जाना चाहिए जो घंटों के हिसाब से तय किया जाए तथा जिसका ढांचा माहवार खर्च और ज़रूरत का हिसाब रखते हुए निर्धारित किया जाए।

संगठन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अलग-अलग रणनीतियां तय की गईं। बाल कामगारों के मामलों में ज़मीनी स्तर पर जानकारी एकत्रण, पार्क, डेरी के पास इंतज़ार करना, स्कूली बच्चों में संवेदनशीलता, सर्वेक्षण आदि की मदद से पता लगाने के प्रयास किए गए कि किन परिवारों में बाल कामगार हैं। व्यस्क घरेलू कामगारों के साथ सम्पर्क, बस्तियों, स्थानीय समूह नुक्कड़, सार्वजनिक मीटिंगों व जानकारी इकट्ठी करके किया गया। कुछ स्वयंसेवक कॉलेजों में विद्यार्थियों को अपने घरेलू कामगारों के प्रति संवेदनशील व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं।

एक अन्य रणनीति जो अपार्टमेंट ब्लॉक में अपनाई गई वह है, वहां मौजूद नागरिक कल्याण समितियों से बातचीत। इन समितियों से बाल घरेलू कामगारों के मामले में काफी अच्छा समर्थन मिला है। पर व्यस्क घरेलू कामगारों को लेकर इनमें उत्साह का अभाव है। एक अन्य विचार के अंतर्गत मालिकों व घरेलू कामगारों के संयुक्त मंच की स्थापना की बात की गई, जिससे आपसी बातचीत हो सके और फिर घरेलू कामगारों के नियंत्रण व पहचान के प्रयास किए जा सकें। इससे कम से कम अपार्टमेंट स्तर पर कामगारों की बतौर श्रमिक पहचान दर्ज हो सकेगी।

- रानी के पिता जेल में थे। इस सदमे से उसकी मां मानसिक बीमारी से ग्रस्त हो गई थी। रानी के चाचा ने उसे काम पर लगा दिया पर वह खुश नहीं थी। वह स्कूल जाना चाहती थी व दूसरे बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। रानी की मालकिन उसे स्कूल नहीं भेजती थी। एक हमदर्द पड़ोसी ने उसकी तकलीफ़ों को देखते हुए उसे दूसरी जगह काम पर लगा दिया। पर वहां भी उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। इस तरह अनेक घरों में काम करते-छोड़ते रानी अंत में एक आवास गृह नवजीवन में पहुंच गई। रानी की इच्छा अच्छी शिक्षा पाने व अपना घर बनाने की है।
- 70 साल की रूक्मिणी अम्मा ने एक ही घर में 45 सालों तक काम किया। वेतन बढ़ाने की बात करने पर मालिक ने उसे काम छोड़ देने के लिए कहा। बूढ़ी हो जाने के कारण रुक्मिणी ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं सकती थी इसलिए अपने भविष्य की चिन्ता करते हुए वह उसी घर में कम वेतन पर काम करती रही।
- 42 साल लिज्जी एक आदर्श मालकिन के बारे में बात करती है जिसने उसके साथ अच्छा बर्ताव किया व उसके बच्चों की शिक्षा में मदद की। मालकिन का बूढ़ा बाप उसके साथ छेड़छाड़ करता था। किसी न किसी बहाने से उसे छूता व चूमने के लिए कहता। वह दृढ़ता के साथ इनका सामना करती थी। शिकायत करने पर मालकिन ने उस पर बाप के साथ बुरा बर्ताव करने तथा चोरी करने का आरोप लगाया। उसे तुरंत निकल जाने के लिए कहा गया। इस घटना ने उसके परिवार को आर्थिक संकट में डाल दिया जिस कारण से वह लम्बे समय तक अपमान सहते हुए संघर्ष करती रही।
- सेना क्वार्टरों में पद्मा ने मुफ्त ठिकाने के लिए काम लिया था। यहां उसे केवल 200 रुपया वेतन दिया जाता था और दिन-भर हाज़िर होने की अपेक्षा की जाती थी। उसे मुफ्त राशन भी नहीं मिलता था जो सेना का आम नियम था। उस पर काम का भारी बोझ था। वह अगर मालिकों को अपने काम से संतुष्ट नहीं कर पाती थी तो उसे गालियां व मारपीट सहनी पड़ती थी।

केस स्टडी स्रोतः स्त्री जागृति समिति, बंगलुरू

अन्य रणनीतियां

संघ बनाने व सदस्यों को समूह में एकत्रित करते हुए जयनगर ईकाई ने महसूस किया कि संघ के सदस्यों को अधिक विश्वसनीयता प्रदान करने की आवश्यकता है। इसलिए संघ बनाने के साथ-साथ हमने तय किया कि घरेलू कामगारों का एक समूह गठित किया जाए जो महिलाओं को काम दिलाने के लिए नियोजन एजेंसी की भूमिका निभाए। इस समूह/नियोजन एजेंसी की मदद से काम के लिए बेहतर हालात सुनिश्चित किए जा सकेंगे। इस एजेंसी की मदद से कामगारों व मालिकों के बीच एक अनुबंध बनाने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी जिससे दोनों ओर ज़िम्मेदारी व जवाबदेही सुनिश्चित हो सकें। हमारा प्रयास यह भी है कि ऐसी रणनीति ईजाद की जा सके जो मालिकों को भी संबोधित करे क्योंकि मालिक व कामगार के संबंध अन्य रिश्तों से अधिक जटिल होते हैं।

रणनीति के तौर पर कौशल विकास

घरेलू कामगारों के लिए वाजिब वेतन और बेहतर काम के हालात मुहैय्या कराने के साथ ही कामगारों के कौशल विकास व व्यवसायिकता पर भी ध्यान देना होगा। इससे घरेलू कामगारों का आत्मविश्वास व हौसला बढ़ेगा। हालांकि हमने खाना पकाने व घर का रख-रखाव सिखाने के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाएं चलाई हैं परन्तु इसका परिणाम कुछ खास नहीं दिखाई पड़ा है। वेतन व कौशल के बीच भी सीधा संबंध भी कम दिखाई पड़ता है। हम यह समझ चुके हैं कि हमारे ढांचागत संसाधन इस समस्या को सीधे तौर पर हल करने में असमर्थ हैं। लिहाज़ा हमें छोटे पैमाने पर परीक्षण छोड़कर व्यापक स्तर पर कार्यवाही करनी होगी। रणनीतियों की बात करते समय हमें यह याद रखना होगा कि हमें कोई कामयाबी तब तक हासिल नहीं होगी जब तक घरेलू कामगार खुद इन रणनीतियों को सफल बनाने की शक्ति का एहसास नहीं करेंगी।

सारांश में यह कहा जा सकता है कि घरेलू कामगारों को मान व अधिकार दिलाने के लिए एकजुट होकर संयुक्त प्रयास करने होंगे। तभी इस अहम कामगार वर्ग समूह को उनका जायज़ दर्जा व न्याय मिलेगा।

मूल अंग्रेज़ी लेख का संपादित अंश